

# केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, बन्दलोक विलिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001  
दूरभाष : 23353503, फैक्स : 23753923

याचिका सं. 221/टीएल/2022

दिनांक : 25.10.2022

## विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

पावर ग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी-३, कुतुब इस्लामी बूर्झनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्थापित, प्रचालन और रखरखाव (बीओडीएस) आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "फेस ॥ (भाग ख) के अधीन राजस्थान (8.1 जीडब्ल्यू) में सौर कर्जा क्षेत्रों से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना" की रचापना हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 के अधीन आवेदन किया गया है।

संख्या सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीधों
1.	फतेहगढ़-॥ पीएस-भादला-॥ पीएस 765 केवी डी / सी लाईन (हितीय)	
2.	फतेहगढ़-॥ पीएस-भादला-॥ पीएस 765 केवी डी / सी लाईन (हितीय) के लिए फतेहगढ़-॥ और भादला-॥ प्रत्येक पर 765 केवी लाईन वे के 2 नंबर	
3.	फतेहगढ़-॥-भादला-॥ 765 केवी डी / सी लाईन (हितीय) के प्रत्येक छोर पर प्रत्येक सर्किट के लिए 1x240 एमवीएआर स्विचेबल लाईन रिएक्टर 240 एमवीएआर, 765 केवी रिएक्टर-4 (फतेहगढ़-॥ और भादला-॥ प्रत्येक पर 2 रिएक्टर) 765 केवी रिएक्टर-4 के लिए रिविंग इकिपमेंट (फतेहगढ़-॥ और भादला-॥ प्रत्येक पर 2 स्विचिंग इकिपमेंट) [फतेहगढ़-॥-भादला-॥ 765 केवी डी / सी लाईन (हितीय) के लिए फतेहगढ़-॥ और भादला-॥ पर प्रत्येक 1x80 एमवीएआर स्पेयर" रिएक्टर को स्पेयर के रूप में उपयोग किया जाएगा]	18 मात्र

\* वर्तमान परिधि के अधीन नहीं

नोट :

- i. पावरग्रिड, फतेहगढ़-॥ और भादला-॥ सबस्टेशन प्रत्येक पर 765 केवी वे की 2 नंबर संख्या के लिए स्थान प्रदान करेगा और फतेहगढ़-॥ और भादला-॥ सबस्टेशन प्रत्येक पर स्विचेबल लाईन रिएक्टर के 2 नंबर संख्या के लिए स्थान प्रदान करेगा।
- ii. टीएसपी, प्रत्येक योजना (भाग-ख, भाग-ग और भाग-3) के अधीन भादला ॥ पीएस पर 765 केवी लाईन रिएक्टर बैक्स और स्विचिंग व्यवस्था के लिए आवश्यक सभी संबद्ध इकिपमेंट अर्थात आइसोलेटर्स, सर्किट ब्रेकर्स, 765 केवी एवं 145 केवी (न्यूट्रल) आनुषंगिक बसेस इत्यादि को संस्थापित करेगा ताकि स्पेयर 1-पीएच यूनिट, नविष्य में जहां कहीं प्रदान किया गया हो, किसी भी खराब यनिट को बिना किसी भौतिक गमनागमन के प्रतिस्थापित करने में समर्थ हो। संबंधित टीएसपी, भादला ॥ पीएस पर इकिपमेंट / सुविधाएं इस प्रकार प्रदान करेगा कि भविष्य में स्विचिंग व्यवस्था को पूरा करने के लिए रिएक्टर के 1x80 एमवीएआर स्पेयर यूनिट की केबल आपूर्ति एवं संस्थापन, संबद्ध एलए, 1-पीएच सर्किट ब्रेकर वैर 765 केवी एवं 145 केवी बसेस के एक्सटेंशन की आवश्यकता होगी।"
3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 25.8.2022 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुशासित जारी किए जाने के प्रत्यावर्ती किए जाएं।
4. रिकोर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 221/टीएल/2022 में दिनांक 22.10.2022 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुशासित जारी किए जाने के प्रत्यावर्ती किए जाएं।
5. पावर ग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुशासित प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समझ किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को देवसाइट [www.powergrid.in](http://www.powergrid.in) पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीकित किया जा सकता है।
6. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुशासित प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 11.11.2022 तक अधिहस्ताकरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. आयोग द्वारा दिनांक 22.11.2022 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वयंपाक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए / डीए नहीं दिया जाएगा।